

दूरभाष एवं फ़ैक्स : 0135-2550591

एन0सी0सी0 निदेशालय उत्तराखण्ड
बंगला नं0 पी0-04 नागनाथ रोड
घंघोड़ा कैन्ट,
देहरादून 248141

1648/वा0स्थानान्तरण/2018/पर्स(ग)

8 जून 2018

एन0सी0सी0 ग्रुप मुख्यालय
देहरादून/रूड़की/नैनीताल

विषय: उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) के अंतर्गत विभाग में कार्मिकों का स्थानान्तरण ।

1. विषयक अधिनियम के अंतर्गत विभाग में कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण हतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं सक्षम प्राधिकारी विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरांत निम्नानुसार विभाग में कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण आदेश जारी किया जा रहा है-

क्रम संख्या	कार्मिकों का नाम/पदनाम	ग्रुप/युनिट कार्यालय का नाम जहां तैनात है।	नये नैतानी स्थल/युनिट का नाम	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) सुगम से दुर्गम में अनिवार्य स्थानान्तरण (स्थानान्तरण अधि0 के धारा 17(1)(क) के अंतर्गत)				
1	श्री देवेन्द्र सिंह बिष्ट, वरिष्ठ सहायक	11 यू0के0 बटा0 एन0सी0सी0 देहरादून (सुगम)	1 यू0के0 कम्पनी एन0सी0सी0 गोपेश्वर (दुर्गम)	1. यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय।
2	श्री सतीश कुमार, वाहन चालक	29 यू0के0 बटा0 एन0सी0सी0 देहरादून (सुगम)	3 यू0के0 कम्पनी एन0सी0सी0 उत्तरकाशी (दुर्गम)	1. यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय।
3	श्री हीरा सिंह बिष्ट, वाहन चालक	77 यू0के0 बटा0 एन0सी0सी0 अल्मोड़ा (सुगम)	80 यू0के0 बटा0 एन0सी0सी0 पिथौरागढ़ (दुर्गम)	1. यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय।
(2) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण				
4	श्री बर्फियालाल, व0प्र0 अधिकारी	ग्रुप मुख्यालय देहरादून (सुगम)	1 यू0के0 कम्पनी एन0सी0सी0 गोपेश्वर (दुर्गम)	1. यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 2. अधिनियम के धारा 17(1)(ख)(सात) के अंतर्गत स्थानान्तरण।
5	श्री बंशी लाल भगत, कनिष्ठ सहायक	84 यू0के0 बटा0 एन0सी0सी0 रूड़की (सुगम)	1 यू0के0 कम्पनी एन0सी0सी0 गोपेश्वर (दुर्गम)	1. यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 3. अधिनियम के धारा 17(1)(ख)(सात) के अंतर्गत स्थानान्तरण।

क्रमशः...2....



(2)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण (स्थानान्तरण अधि० के धारा 17(1)(ग) के अंतर्गत)				
6	श्री हरेन्द्र सिंह बिष्ट, प्रधान सहायक	1 यू०के० कम्पनी एन०सी०सी० गोपेश्वर (दुर्गम)	11 यू०के० बटा० एन०सी०सी० देहरादून (सुगम)	1. यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय।
7	श्री ओमेश भण्डारी, वरिष्ठ सहायक	1 यू०के० कम्पनी एन०सी०सी० गोपेश्वर (दुर्गम)	29 यू०के० बटा० एन०सी०सी० देहरादून (सुगम)	1. यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय।
8	श्री सुरेश कुमार, कनिष्ठ सहायक	3 यू०के० कम्पनी एन०सी०सी० उत्तरकाशी (दुर्गम)	11 यू०के० बटा० एन०सी०सी० देहरादून (सुगम)	1. यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय।
9	श्री गणेश सिंह, कनिष्ठ सहायक	81 यू०के० बटा० एन०सी०सी० बागेश्वर (दुर्गम)	5 यू०के० नवल एन०सी०सी० नैनीताल (सुगम)	1. यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय।
10	श्री विक्रम सिंह, वाहन चालक	3 यू०के० कम्पनी एन०सी०सी० उत्तरकाशी (दुर्गम)	29 यू०के० बटा० एन०सी०सी० देहरादून (सुगम)	1. यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय।
11	श्री नरेश राम, वाहन चालक	80 यू०के० बटा० एन०सी०सी० पिथौरागढ़ (दुर्गम)	77 यू०के० बटा० एन०सी०सी० अल्मोड़ा (सुगम)	1. यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त 10 प्रतिशत स्थानान्तरण की बाध्यता के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी जो वर्ष 2017 में विभाग में संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के लागू होने पर ग्रुप/युनिटों में ऐसे पदों पर कार्यरत हैं, जो वर्तमान में उनके तैनाती ग्रुप एवं युनिट में स्वीकृत नहीं हैं या स्वीकृत पद के सापेक्ष अतिरिक्त तैनात हैं। ऐसे कुछ कर्मिकों को उनके पदों के सापेक्ष तैनाती हेतु स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरांत निम्नानुसार रिक्त पद के सापेक्ष स्थानान्तरण किया जाता है-

क्रम संख्या	कर्मिकों का नाम/पदनाम	ग्रुप/युनिट कार्यालय का नाम जहां तैनात है।	नये नैतानी स्थल/युनिट का नाम	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री पदम सिंह नेगी, व०प्र० अधिकारी	11 यू०के० बटा० एन०सी०सी० देहरादून (सुगम)	84 यू०के० बटा० एन०सी०सी० रूड़की (सुगम)	1. यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय।
2	श्री हरीश चन्द्र भट्ट, व०प्र० अधिकारी	24 यू०के० बटा० एन०सी०सी० अल्मोड़ा (सुगम)	77 यू०के० बटा० एन०सी० अल्मोड़ा (सुगम)	1. स्थानीय स्थानान्तरण।

कमश:...3....

(3)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	श्री हीरा सिंह बिष्ट, व०प्र० अधिकारी	80 यू०के० बटा० एन०सी०सी० देहरादून (दुर्गम)	78 यू०के० बटा० एन०सी०सी० हल्द्वानी (सुगम)	1. यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय।

3. उपरोक्त स्थानान्तरित किये गए कार्मिक इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्तर्गत दिनांक 16 जून 2018 (अप्रह्न) तक बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण करे। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को उपरोक्तानुसार नये कार्यस्थल में तैनाती हेतु तत्काल अवमुक्त करे।

4. अवमुक्त होने वाले कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि' का उपभोग नये कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत देय किया जायेगा। अवमुक्ति के उपरांत मात्र अनुमन्य 'यात्रा अवधि' का ही उपभोग किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध विषयक अधिनियम के धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5. स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा जिसका निस्तारण किया जायेगा।

(हरीश बर्थवाल)

कर्मल

अपर निदेशक

कृते अपर महानिदेशक

प्रतिलिपि—आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11 यू०के० बटा० एन०सी०सी० देहरादून
1 यू०के० क० एन०सी०सी० गोपेश्वर
29 यू०के० बटा० देहरादून
3 यू०के० क० एन०सी०सी० उत्तरकाशी
77 यू०के० बटा० एन०सी०सी० अल्मोड़ा
80 यू०के० बटा० एन०सी०सी० पिथौरागढ़
84 यू०के० बटा० एन०सी०सी० रुड़की
3 यू०के० कम्पनी एन०सी०सी० उत्तरकाशी
81 यू०के० बटा० एन०सी०सी० बागेश्वर
5 नवल एन०सी०सी० नैनीताल
78 यू०के० बटा० एन०सी०सी० हल्द्वानी
मु०कोषाधिकारी, व०कोषाधिकारी, कोषाधिकारी—
देहरादून/गोपेश्वर/उत्तरकाशी/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/रुड़की/बागेश्वर/नैनीताल/हल्द्वानी—
वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम के धारा 22(1) के अंतर्गत आपके आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
आन्तरिक— वित्त एवं लेखा अनुभाग